(1) प्रकरण संख्या 10/2023 श्रीमती मोहनीबाई बनाम मांगीलाल व अन्य
(2) प्रकरण संख्या 11/2023 श्रीमती मोहनीबाई बनाम मांगीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.04.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल श्रीमती हगामी श्रीमती गणेशी पुत्री रामा ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माऊ, तहसील रेलमगरा में आराजी नंबर 30, 140, 142, 145, 148, 271, 272, 333, 340, 348, 392, 393, 394 कुल किता 13 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 7 से 9 का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष रामाजी की मृत्यु 1976 में होकर उनके वारिस मगदु, कजोड, अम्बालाल, हगामी व गणेशी हुई, जिससे रामाजी के प्रत्येक वारिस विवादित आराजियात में 1/5, 1/5 हिस्सा है, लेकिन ग्राम पंचायत ने वारिसान की जांच किये बिना केवल प्रतिवादी संख्या 1 कजोड व अम्बालाल की संतानों विपक्षी संख्या 2 से 4 के पक्ष में नामान्तरकरण खोला, जो वादीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर है। विपक्षी संख्या 1 से 4 के मन में बदनियति आ जाने से विवादित भूमि खुर्द-बुर्द करने पर आमादा हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः विवादित आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादीगण प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2012 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 11.10.2012 को अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपील संख्या 10/2023 तथा अपील संख्या 11/2023 दिनांक 22.03.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 47/2010 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे। अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेन्टगण को नोटिस जारी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 6 अभिभाषक श्री अक्षय पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9, 16 की ओर से अधिवक्ता श्री पवनसिंह राठौड़ उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पालीवाल उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि जब जरूरत होगी तब बुला लेंगे, किन्तु उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। दिनांक 05.02.2023 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 ने अपीलान्ट को बताया तब उक्त निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया एवं दिनांक 16.02.2023 को नकल प्राप्त होने ही अविलम्ब अपीलें प्रस्तुत कर दी हैं। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर दोनों अपीलें अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण में 5 तनकियां कायम की गयी, जिसमें तनकी नंबर 1 व 2 को साबित कराने का भार वादीगण पर था, जिसे वादीगण द्वारा साबित नहीं कराये जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उसे साबित मानकर उनका वाद डिक्री करने में भारी भूल की है। इसके अलावा वादी संख्या 1 हगामी की मृत्यु निर्णय व डिक्री के पूर्व दिनांक 24.04.2008 को हो गयी थी, जिसकी नामकायमी का आवेदन 90 दिवस में प्रस्तुत नहीं किये जाने से कानूनन वाद अबेट हो चुका था, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के पक्ष में डिक्री जारी कर दी, जो अवैध व शून्य है। इसके अलावा वादी संख्या 2 गणेशी की भी मृत्यु 20.05.2010 को हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्तियों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested

(1) प्रकरण संख्या 10/2023 श्रीमती मोहनीबाई बनाम मांगीलाल व अन्य
(2) प्रकरण संख्या 11/2023 श्रीमती मोहनीबाई बनाम मांगीलाल व अन्य

पक्ष में डिक्री जारी की है, जबकि कानूनन मृत व्यक्ति के पक्ष में एवं मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री जारी नहीं की जा सकती। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा दावे को सेट असाईट करने संबंधी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन नामकायमी के प्रार्थना पत्र के साथ अबेटमेन्ट को सेट असाईट करने का प्रार्थना पत्र माना जा सकता है, जैसाकि सिविल अपील संख्या 13407/2024 ओमप्रकाश गुप्ता बनाम सतीश चन्द्र में निर्णय पारित किया गया है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्तियों के वारिसान को रेकार्ड पर लिये बिना ही डिक्री जारी कर दी है, जबकि विधि अनुसार न तो मृत व्यक्ति के पक्ष में एवं न ही मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री जारी नहीं की जा सकती। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 47/2010 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.08.2012 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.10.2012 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में मृत व्यक्तियों के वारिसान को रेकार्ड पर लेकर तथा उन्हें सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.06.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested

(1) प्रकरण संख्या 10/2023 श्रीमती मोहनीबाई बनाम मांगीलाल व अन्य
(2) प्रकरण संख्या 11/2023 श्रीमती मोहनीबाई बनाम मांगीलाल व अन्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested